आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –19 / 2022
दिनेश राम
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
20.02.2023	प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No.–18105 / 2021 दिनेश राम बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–11.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के वाद संख्या–427 / 2020–21 में दिनांक–07. 09.2021 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अंश निम्नवत है :– ***"Considering the facts and circumstances of the case, this application is disposed of with liberty to the petitioner to approach the Revisional Authority by making appropriate application. If he does so within four weeks from today, the Revisional Authority shall liberally consider any prayer for condonation of delay and after condoning the delay, he shall decide the petitioner's revision petition on merit."*** अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 28.07.2017 को रात्रि 09:30 बजे प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा दुरभाष पर सूचना दी गयी कि ग्राम पंचायत–मलदहिया, पोखरिया के जन वितरण प्रणाली विक्रेता दिनेश राम द्वारा किरासन तेल की कालाबाजारी कर दी गयी है, जिसको ग्रामीणो द्वारा जब्त किया गया है। इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति	

WEB COPY NOT OFFICIAL

पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा दिनांक–29.07.2017 को सुबह 08:10 बजे ग्राम पंचायत राज मलदहिया पोखरिया के ग्रामीणों द्वारा जब्त किरासन तेल की स्थानीय जाँच की गयी। जाँच के क्रम में श्री रामेश्वर राम एवं अन्य उपस्थित ग्रामीणों द्वारा लिखित एवं मौखिक बयान दिया गया, जिसमें बताया गया कि रात्रि 09:00 बजे जन वितरण प्रणाली विक्रेता दिनेश राम के द्वारा किरासन तेल नापा जा रहा था तथा सुरज कुमार द्वारा नपवाया जा रहा था। उसी समय ग्रामीणों द्वारा किरासन तेल जब्त कर प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज को सूचना दी गयी। जाँच के क्रम में ही जन वितरण प्रणाली विक्रेता दिनेश राम के दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन के क्रम में पाया गया कि दिनेश राम द्वारा दिनांक 25.07.2017 को किरासन तेल थोक विक्रेता, नरकटियागंज से 900 लीटर किरासन तेल का उठाव किया गया था तथा पूर्व माह का अवशेष 37.200 लीटर था। विक्रेता द्वारा दिनांक 26.07.2017 एवं 27.07.2017 को 348 लाभुको के बीच 783 लीटर किरासन तेल वितरण किया गया था तथा भंडार पंजी में 154.200 लीटर किरासन तेल अवशेष दिखाया गया था। भौतिक सत्यापन के क्रम में विक्रेता के भंडार में हरे रंग के दो ड्रम में प्रति ड्रम लगभग 50 लीटर (कुल 100 लीटर लगभग) किरासन तेल था।

उक्त अनियमितता के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के पत्रांक–1718 दिनांक 31.07.2017 द्वारा विक्रेता से कारण पृच्छा की मांग की गयी। विक्रेता द्वारा दिनांक 04.08.2017 को कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन पर स्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि विक्रेता द्वारा पिछले कई माह से लाभुको को प्रति लाभुक 2 लीटर किरासन तेल दिया जाता रहा है एवं 50 रूपया लिया जाता है। जबकि सरकार द्वारा माह सितम्बर 2017 तक किरासन तेल की निर्धारित मात्रा 2.25 लीटर प्रति लाभुक परिवार था। विक्रेता द्वारा किरासन तेल की घटतौली करके अवशेष तेल की कालाबजारी कर दी गयी है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नरकटियागंज से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं मंतव्य के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश ज्ञापांक–230 दिनांक–24.11.2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.–14450/2018 में दिनांक 23.08.2018 को पारित आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा विक्रेता को तत्काल प्रभाव से आवंटन प्रारंभ कर दिया गया एवं स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नरकटियागंज एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिकटा से संयुक्त मंतव्य की मांग की

WEB COPY NOT OFFICIAL

गयी। विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश संख्या–619 दिनांक–24.08.2019 द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या–53/2007 को रद्द कर दिया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियांगज के उक्त आदेश के विरूद्ध श्री दिनेश राम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.–20084/2019 दायर किया गया। जिसमें दिनांक 06.11.2020 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में विक्रेता द्वारा समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण के न्यायालय में अपील दायर किया गया। समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण द्वारा अपने मुखर आदेश से विक्रेता के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के आदेश के विरूद्ध विक्रेता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.–18105/2021 दायर किया गया।

पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता के स्पष्टीकरण पर विचार किये बिना ही अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया। इन्हें मंतव्य की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। सुनवाई के दौरान पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि जॉच पदाधिकारी द्वारा किरासन तेल की माप लाठी से किया गया है, जो मानक पैमाना के अंतर्गत नहीं आता है। इन सभी तथ्यों का संज्ञान किये बगैर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण ने भी अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश ज्ञापांक 619 दिनांक 24.08.2019 को यथावत रखा, जो गलत है। अंत में पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने समाहर्त्ता के वाद संख्या–427/2020–2021 में दिनांक–07.09.2021 को पारित आदेश तथा अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश ज्ञापांक–619 दिनांक 24.08.2019 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीणों के शिकायत के आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नरकटियागंज को सूचना दी, जिस आधार पर प्रखंड आपूर्ति पदांधिकारी, नरकटियागंज ने पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की जॉच की। जॉच में पाये गये अनियमितता के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा विक्रेता से कारण पृच्छा की मांग की गयी। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नरकटियागंज एवं सिकटा से मंतव्य प्राप्त कर कार्रवाई की गयी है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाकर कार्रवाई की गयी है। समाहर्त्ता,

WEB COPY NOT OFFICIAL

पश्चिम चम्पारण द्वारा विक्रेता को सुनवाई का पुरा मौका देते हुए अपने मुखर आदेश दिनांक–07.09.2021 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, जिससे निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत हैं एवं उसमें कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षणकर्त्ता के दुकान के जाँच में भंडार में अंकित किरासन तेल की मात्रा 154.2 लीटर थी, जबकि भंडार में दो ड्राम में लगभग 100 लीटर ही पाया गया, इस संबंध में पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा कोई स्पष्ट तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रमाणित होता है कि बचे हुए शेष तेल का इनके (पुनरीक्षणकर्ता) द्वारा कालाबाजारी की गयी है। पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध किरासन तेल की कालाबजारी, लाभुकों को कम किरासन तेल देने एवं निर्धारित मूल्य से अधिक राशि लेने का प्रमाणित आरोप है। किरासन तेल की कालाबाजारी, लाभुको को कम किरासन तेल देना एवं निर्धारित राशि से अधिक राशि लेना बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम 14(i) एवं 25 (i) **"माननीय सर्वोच्च न्यायालय, द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01"** में पारित न्यायादेश के उपनियम (ड़) के प्रतिकूल है। उपर्युक्त स्थिति में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण एवं अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा पारित आदेश में किसी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL